

म.प्र. विधानसभा संशोधित तारांकित प्रश्न क्रमांक 1276 द्वारा माननीय श्री कुंवर सौरभ सिंह के प्रश्नांश "क" एवं "ख" कलेक्टर कटनी को प्रेषित पत्रों की जानकारी

कार्यालय, जिला पंचायत कटनी

परिशिष्ट "क"

कं0	ग्राम पंचायत का नाम	शिकायतकर्ता का पत्र क्रं व दिनांक	विषय विवरण	जांचकर्ता अधिकारी का नाम / पद	शिकायत का जांच परिणाम	जांच परिणाम अनुसार की गई कार्यवाही	लंबित रहने के कारण
1	राखी	कं0 1982 दिनांक 08.01.2017	ग्राम पंचायत राखी के कार्यो की जांच के संबंध में ।	श्री एस के कलसिया, खण्ड पंचायत अधिकारी, जनपद पंचायत बहोरीबंद	शिकायत में दर्शित कार्य मौके पर पूर्ण पाये गये।	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बहोरीबंद के पत्र क्रमांक 3830 दिनांक 14.11.2017 में लेख "जांच कर्ता अधिकारी (खण्ड पंचायत अधिकारी, जनपद पंचायत बहोरीबंद) एवं ग्राम वारिसियों के पंचनामा प्रतिवेदन अनुसार शिकायत में उल्लिखित कार्य मौके पर पूर्ण पाये गये।"	जांच लंबित न होने से कोई दोषी नहीं है।
1	सिड्डी छपरा	कं0 2013 दिनांक 21.01.2017	ग्राम पंचायत सिड्डी छपरा में किये गये व्यापक भूस्वाम्य की जांच कराये जाने के संबंध में	सहायक यंत्री एवं खण्ड पंचायत अधिकारी, जनपद पंचायत बहोरीबंद	सूचना का अधिकार के तहत चाहे गये अभिलेख प्राप्त होने पर शिकायतकर्ता संतुष्ट	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बहोरीबंद के पत्र क्रमांक 3830 दिनांक 14.11.2017 में लेख "जांच कर्ता अधिकारी (सहायक यंत्री तथा खण्ड पंचायत अधिकारी, जनपद पंचायत बहोरीबंद) के प्रतिवेदन में शिकायतकर्ता श्री मानिकलाल त्रिपाठी द्वारा सूचना के अधिकार के तहत चाही गई जानकारी प्राप्त होने से संतुष्ट।	जांच लंबित न होने से कोई दोषी नहीं है।
3	भुडसा	कं0 2189 दिनांक 18.02.2017	ग्राम पंचायत भुडसा में निर्मित सी सी रोड की जांच	सहायक यंत्री, जनपद पंचायत बडवारा	वित्तीय अनियमितता पाई गई	सहायक यंत्री, जनपद पंचायत बडवारा के पत्र क्रमांक 2229 दिनांक 15.11.17 में प्रतिवेदन अनुसार तत्कालीन सरपंच श्रीमती शोभा गुप्ता एवं तत्कालीन सचिव श्रीमती स्नेहलता सिंह पर राशि रु 11450.00 की वसूली पाये जाने पर म.प्र. पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज आधिनियम 1993 की धारा 92 / 40 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।	जांच लंबित न होने से कोई दोषी नहीं है।
4	लालपुर	कं0 2384 दिनांक 28.03.17	ग्राम पंचायत सीठी में मनरेगा अंतर्गत कराये गये कार्यों के संबंध में	कार्यालयीन पत्र क्रमांक / 6784 दि. 02.06.17 के माध्यम से निराकरण हेतु सी0ई0ओ0 जनपद सीठी को पत्र जारी किया गया है।	शिकायत में दर्शित बिन्दु की तथ्यात्मक पुष्टि होना नहीं पाई गई।	कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सीठी द्वारा पत्र क्रमांक / 2488 दिनांक 14.11.17 के माध्यम से जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराते हुये अवगत कराया गया है कि, उक्त प्रकरण की जांच प्रतिवेदन अनुसार ग्राम पंचायत अंतर्गत निर्माण कार्यों में लगाये गये मजदूरों द्वारा मौके पर कार्य कराया जाना पाया गया है अतः शिकायत निराधार है।	जांच लंबित न होने से कोई दोषी नहीं है।

प्रश्न सं. [क्रं. 1276]

5	हथकुरी	कं0 48 दिनांक 20.04.17	ग्राम पंचायत हथकुरी अंतर्गत नोवापटी में सी सी रोड की जांच	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत सीटी	वित्तीय अनियमितता पाई गई ।	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत सीटी द्वारा वसूली योग्य राशि रु 54000.00 में से राशि रु0 44000.00 दिनांक 21.02.2017 को राशि ग्राम पंचायत हथकुरी के खाते में जमा किया गया है । शेष राशि रु 10000.00 जमा न किये जाने से सरपंच श्री सतीश पाण्डे एवं सचिव श्री धीरज पाण्डे म.प्र. पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92/40 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है ।	जांच लंबित न होने से कोई दोषी नहीं है ।
6	कछारगांव छोटा	कं0 72 दिनांक 20.04.17	ग्राम पंचायत कछारगांव में वाटरशेड अंतर्गत निर्मित पुलिया के संबंध में	प्रभारी अधिकारी वाटरशेड जिला पंचायत कटनी	---	प्रभारी अधिकारी, वाटर शेड जिला पंचायत के पत्र दिनांक 14.11.2017 के अनुसार ग्राम पंचायत कछारगांव छोटा वाटरशेड योजना में सम्मिलित नहीं है ।	---
7	कटौतिया	कं0 63 दिनांक 20.04.2017	ग्राम पंचायत कटौतिया में सरपंच एवं सचिव द्वारा शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन न करने एवं लापरवाही बरतने	खण्ड पंचायत अधिकारी, जनपद पंचायत सीटी	वित्तीय अनियमितता नहीं पाई गई ।	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत सीटी के पत्र कं व्यू दिनांक 15.11.2017 से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार "अन्य शिकायत के आधार पर सरपंच का निर्वाचन शून्य घोषित किया गया है एवं सचिव को पृथक किया गया है।"	जांच लंबित न होने से कोई दोषी नहीं है ।
8	कनौजा	कं0 1358 दिनांक 03.10.2016	ग्राम पंचायत के कार्यों की जांच कराये जाने बाबत	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत डीमरखेड़ा	वित्तीय अनियमितता पाई गई ।	जिला पंचायत कटनी के पत्र कं0 2276 दिनांक 17.02.2017 से विहित प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी, डीमरखेड़ा, को म0प्र0 पंचायतराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत राशि वसूली हेतु लेख किया गया था किंतु अनुविभागीय अधिकारी, डीमरखेड़ा, के पत्र क्रमांक 724 दिनांक 15.11.17 अनुसार दस्तावेजों के आभाव में प्रकरण पजीबद्ध नहीं हुआ है। कार्यालयीन पत्र पृ. कं0 2277 दिनांक 17.02.2017 से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत डीमरखेड़ा को सुसंगत आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था।	जांच लंबित न होने से कोई दोषी नहीं है ।
9	बिजौरी	कं0 175 दिनांक 02.05.2017	वाटरशेड समिति बिजौरी के सचिव एवं टीमलीडर द्वारा निर्माण कार्य में अनियमितताओं की जांच	सहायक यंत्री, जनपद पंचायत बड़वारा	---	रखत निरीक्षण किया गया, संपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध न हो पाने से जांच प्रचलन में है।	जांच लंबित न होने से कोई दोषी नहीं है ।

10	कुम्हरवारा	पत्र क्रमांक 271 / 23.05.2017	ग्राम पंचायत कुम्हरवारा के कार्यो की जांच बाबत	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत सीटी	वित्तीय अनियमितता नहीं पाई गई ।	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत सीटी के पत्र क्रं 896 दिनांक 01.10.2016 से प्राप्त जांच प्रतिवेदन अनुसार शिकायत की पुष्टि नहीं होने तथा वित्तीय अनियमितता न होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई ।	जांच लंबित न होने से कोई दोषी नहीं है ।
----	------------	----------------------------------	---	--	------------------------------------	---	--

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
बिला पंचायत कटनी